



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19112025-267826
CG-MH-E-19112025-267826

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2025/कार्तिक 27, 1947

No. 746]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2025/KARTIKA 27, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 18 नवम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/274.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) एवं खंड (ग) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-

I. विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,

i. खंड (कख) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(कग) “केवल अक्रेडिटिड निवेशकों हेतु बनाए गए फंड” (अक्रेडिटिड इन्वेस्टर्स ओनली फंड) का अर्थ है – ए.आई.एफ. (आनुकल्पिक निवेश निधि / ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) या ए.आई.एफ. की कोई स्कीम, जिसमें प्रत्येक निवेशक [ए.आई.एफ. के प्रबंधक, प्रायोजक (स्पॉन्सर), कर्मचारियों या निदेशकों अथवा प्रबंधक के कर्मचारियों या निदेशकों को छोड़कर] अक्रेडिटिड निवेशक हो:

परंतु यह कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 के अधिसूचित होने से पहले लागू किसी ए.आई.एफ. या लाई गई ए.आई.एफ. की किसी स्कीम को, बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित शर्तों के तहत, ‘केवल अक्रेडिटिड निवेशकों हेतु बनाए गए फंड’ (अक्रेडिटिड इन्वेस्टर्स ओनली फंड) के रूप में बदलने की अनुमति दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण – ‘केवल अक्रेडिटिड निवेशकों हेतु बनाए गए फंड’ (अक्रेडिटिड इन्वेस्टर्स ओनली फंड) में अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए ‘अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाया गया फंड’ (लॉर्ज वैल्यू फंड) भी शामिल होगा।”

ii. खंड (तक) में –

क. शब्द “सत्तर” के स्थान पर शब्द “पच्चीस” आ जाएगा।

ख. निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 के अधिसूचित होने से पहले लागू किसी ए.आई.एफ. या लाई गई ए.आई.एफ. की किसी स्कीम को, बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित शर्तों के तहत, अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए ‘अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड’ (लॉर्ज वैल्यू फंड) के रूप में बदलने की अनुमति दी जा सकेगी।”

II. विनियम 4 के खंड (छ) के उप-खंड (i) में, चिह्न तथा शब्द “; और” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा और उसके बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि इस उप-खंड के प्रावधान ‘केवल अक्रेडिटिड निवेशकों हेतु बनाए गए फंड’ (अक्रेडिटिड इन्वेस्टर्स ओनली फंड) के मामले में लागू नहीं होंगे; और”

III. विनियम 10 के खंड (च) में,

i. परंतुक में, शब्दों “परंतु यह” के बाद शब्द “और” जोड़ा जाएगा।

ii. मौजूदा परंतुक से पहले निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि ए.आई.एफ. की किसी स्कीम में कितने निवेशक हैं, यह गिनती करते समय अक्रेडिटिड निवेशकों को नहीं गिना जाएगा:”

IV. विनियम 13 के उप-विनियम (5) में,

i) पहले परंतुक में, शब्द तथा चिह्न “अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए ‘अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड’ (लॉर्ज वैल्यू फंड)”, जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर शब्द तथा चिह्न “‘केवल अक्रेडिटिड निवेशकों हेतु बनाए गए फंड’ (अक्रेडिटिड इन्वेस्टर्स ओनली फंड)” आ जाएंगे।

- ii) दूसरे परंतुक में, शब्दों तथा चिह्नों “अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए ‘अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड’ (लॉर्ज वैल्यू फंड)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ ‘केवल अक्रेडिटिड निवेशकों हेतु बनाए गए फंड’ (अक्रेडिटिड इन्वेस्टर्स ओनली फंड)” आ जाएंगे।

V. विनियम 20 में,

- i) उप-विनियम (8) में, पहले परंतुक के बाद निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“परंतु यह और कि इस उप-विनियम के प्रावधान अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए ‘अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड’ (लॉर्ज वैल्यू फंड) के मामले में लागू नहीं होंगे।”
- ii) उप-विनियम (22) के दूसरे परंतुक में, शब्दों तथा चिह्नों “ ‘अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड’ (लॉर्ज वैल्यू फंड)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ ‘केवल अक्रेडिटिड निवेशकों हेतु बनाए गए फंड’ (अक्रेडिटिड इन्वेस्टर्स ओनली फंड)” आ जाएंगे।
- iii) उप-विनियम (23) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“(24) इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में ए.आई.एफ. के ट्रस्टी (न्यासी) की जिन जिम्मेदारियों और दायित्वों (बाध्यताओं) का जिक्र है, वे जिम्मेदारियाँ और दायित्व, ‘केवल अक्रेडिटिड निवेशकों हेतु बनाए गए फंड’ (अक्रेडिटिड इन्वेस्टर्स ओनली फंड) के मामले में, ‘केवल अक्रेडिटिड निवेशकों हेतु बनाए गए फंड’ के प्रबंधक (मैनेजर) को निभानी होंगी (निभाने होंगे)।”

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./483/2025-26]

पाद टिप्पण :

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, द्वारा 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्,-
 - 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/24/6573, द्वारा
 - 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
 - 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा
 - 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा
 - 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा
 - 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा

- (छ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा
- (ज) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा
- (झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (ञ) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा
- (ट) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा
- (ठ) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा
- (ड) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- (ढ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/33, द्वारा
- (ण) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/41, द्वारा
- (त) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/57, द्वारा
- (थ) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/68, द्वारा
- (द) 16 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/75, द्वारा
- (ध) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/89, द्वारा
- (न) 15 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/105, द्वारा
- (प) 9 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/113, द्वारा
- (फ) 18 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा

- (ब) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- (भ) 15 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/132, द्वारा
- (म) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
- (य) 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा
- (कक) 5 जनवरी, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/163, द्वारा
- (खख) 25 अप्रैल, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/168, द्वारा
- (गग) 18 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/194, द्वारा
- (घघ) 6 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/198, द्वारा
- (ङङ) 18 नवम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/209, द्वारा
- (चच) 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/228, द्वारा
- (छछ) 23 मई, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/248, द्वारा
- (जज) 9 सितम्बर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/265, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th November, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS)
(THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/274.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, –

I. In sub-regulation (1) of regulation 2,

- i. after the clause (ab), the following clause shall be inserted, namely, -

“(ac) “Accredited Investors only fund” means an Alternative Investment Fund or scheme of the Alternative Investment Fund in which each investor other than the Manager, Sponsor, employees or directors of the Alternative Investment Fund or employees or directors of the Manager, is an Accredited Investor:

Provided that an Alternative Investment Fund or a scheme of an Alternative Investment Fund, launched prior to the notification of Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2025, may be permitted to convert to Accredited Investors only fund, subject to the conditions as may be specified by the Board.

Explanation - ‘Accredited Investors only fund’ shall include ‘large value fund for accredited investors’.”

- ii. in clause (pa)-

- a. the word “seventy” shall be substituted with words “twenty-five”.

- b. the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that an Alternative Investment Fund or a scheme of an Alternative Investment Fund, launched prior to the notification of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2025, may be permitted to convert to a large value fund for accredited investors, subject to the conditions as may be specified by the Board.”

- II. In sub-clause (i) of clause (g) of regulation 4, the symbol and word “; and” shall be substituted with the symbol “:” and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that the provisions of this sub-clause shall not apply to Accredited Investors only fund; and”

- III. In clause (f) of regulation 10,

- i. in the proviso, after the word “Provided”, the word “further” shall be inserted.
- ii. before the existing proviso, the following new proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that accredited investors shall be excluded while computing the number of investor in a scheme of an Alternative Investment Fund:”

- IV. In sub-regulation (5) of regulation 13,

- i) in the first proviso, the words “large value fund for accredited investors” wherever appearing shall be substituted with the words “Accredited Investors only fund”.
- ii) in the second proviso, the words “a large value fund for accredited investors” shall be substituted with the words “Accredited Investors only fund”.

- V. In regulation 20,
- i) in sub-regulation (8), after the first proviso, the following new proviso shall be inserted, namely, -
“Provided further that the provisions of this sub-regulation shall not apply to large value fund for accredited investors.”
 - ii) in the second proviso of sub-regulation (22), the words “Large Value Fund for Accredited Investors” shall be substituted with “Accredited Investors only fund”.
 - iii) after sub-regulation (23), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -
“(24) The responsibilities and obligations of a trustee of an Alternative Investment Fund specified under these regulations shall, in case of an Accredited Investors only fund, be carried out by the manager of the Accredited Investors only fund.”

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./483/2025-26]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –
 - (a) 16th September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
 - (b) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - (c) 26th September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
 - (d) 14th August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
 - (e) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.
 - (f) 6th March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
 - (g) 1st June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.
 - (h) 10th May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.
 - (i) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (j) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.
 - (k) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.
 - (l) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.
 - (m) 3rd August, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - (n) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.

- (o) 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/41.
- (p) 9th November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/57.
- (q) 24th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/68.
- (r) 16th March, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/75.
- (s) 25th July, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/89.
- (t) 15th November 2022, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/105.
- (u) 9th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/113.
- (v) 18th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.
- (w) 7th February 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- (x) 15th June 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/132.
- (y) 3rd July 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- (z) 17th August 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.
- (aa) 5th January 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/163.
- (bb) 25th April 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/168.
- (cc) 18th July, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/194.
- (dd) 6th August, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/198.
- (ee) 18th November, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/209.
- (ff) 10th February, 2025, by the Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228.
- (gg) 23rd May 2025, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/248.
- (hh) 9th September 2025, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/265.